स्कीम दिशा-निर्देश

I. प्रमुख विशेषताएं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई), अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त जनजातियों (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी), कूड़ा बीनने वालों समेत सफाई कर्मचारियों सहित समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से लाभवंचित वर्गों की सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। लक्षित समूह के अधिकांश लोगों के पास न्यूनतम आर्थिक परिसंपत्तियां हैं, इसलिए इन लाभवंचित लक्षित समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण/उन्नयन के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान और उनकी दक्षताओं में वृद्धि आवश्यक है।

कार्यक्रम का फोक्स बेहतर गुणवत्ता वाले संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्तापरक कौशल प्रदान करना होगा ताकि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप वे रोजगार अथवा स्वरोजगार उद्यम प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, बाजार में बेहतर तकनीकों के कारण जो ग्रामीण शिल्पकार लाभवंचित हो गए हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे नई प्रक्रियाओं को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

कार्यक्रम में कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों और महिलाओं को कौशल प्रदान करना भी शामिल है ताकि वे स्वरोजगार कार्यकलापों में लग सकें।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, विमुक्त जनजातियों, कूड़ा बीनने वाले सहित सफाई कर्मचारियों के लाभवंचित लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का **'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना'** नाम से अनुमोदन किया गया है।

स्कीम का कार्यान्वयन समाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किया जाएगा यथा-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)।

II. स्कीम का उद्देश्य

स्कीम का प्रमुख उद्देश्य दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक कौशल उपलब्ध कराकर लक्षित युवाओं के कौशल स्तरों में वृद्धि करना है ताकि उनकी दिहाड़ी/स्वरोजगार की व्यवस्था हो सके।

इसके अलावा, प्रायर लर्निंग मान्यता (आरपीएल) कार्यक्रमों के माध्यम से कारीगरों के कौशल स्तरों में वृद्धि की जाएगी। इसके अंतर्गत, कौशल/प्रक्रिया/डिजाइन का स्तरोन्नयन किया जाएगा ताकि उनकी व्यवसायों में आय में वृद्धि हो सके।

लक्षित समूहों के दक्षता स्तर में बढ़ोत्तरी करने के लिए और लक्षित समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार दोनों में उन्हें नियोजित करने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई गई है :

(i) शिल्पकार अपने व्यवसायों में अपनी राजस्व अर्जन क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं;

स्कीम दिशा-निर्देश

(ii) महिलाएं स्वरोजगार में प्रवेश कर सकती हैं जिससे बिना अपने घरेलू कार्यों को छोड़े बगैर वे वित्तीय रूप से सशक्त हो सकती हैं; और

(iii) युवा नियोजन योग्य व्यवसायों में दीर्घकालिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं ताकि उन्हें रोजगार बाजार में बेहतर अवसर मिल सके।

III. कौशल कार्यक्रमों का वर्गीकरण

पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मुख्यतया निम्नलिखित उप-वर्गों के लक्षित समूह को प्रशिक्षित करेगा :

1. कौशलोन्नयन/प्रायर लर्निंग मान्यता (आरपीएल) :

(i) **लक्षित समूह:** कूड़ा बीनने वालों तथा उनके आश्रित जो सामाजिक पिरामिड सबसे निचला वर्ग है सहित सफाई कर्मचारी तथा एससी/ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी श्रेणियों के लाभवंचित ग्रामीण कारीगर और अन्य ऐसे ही उद्यमी।

(ii) **पाठ्यचर्या:** वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता आदि के साथ-साथ बर्तन बनाने, बुनाई, मिट्टी एवं बांस का कार्य, धातुकर्म, बढ़ईगिरी, ठोस कचरा छटनी, घरेलु सहायकों के कार्य जैसे व्यवहारगत व्यवसायों के संबंध में प्रशिक्षकों द्वारा कारीगरों को उनके कार्यस्थल पर ही पहुंचकर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षक एक मास्टर शिल्पकार अथवा डिजायनर अथवा अपने व्यवसाय में पारंगत व्यक्ति होगा। प्रशिक्षण कार्य में कार्यान्वयनों, डिजायनों तथा प्रक्रियाओं में सुधार लाना शामिल है ताकि आय में वृद्धि हो सके।

विशेषकर कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर स्वच्छता परिपाटियों से संबंधित कार्यक्रम तथा कूड़ा बीनने वालों के लिए आरपीएल कार्यक्रम शामिल होंगे। जिनके लिए एनएसकेएफडीसी द्वारा क्यूपीएस विकसित कर लिए गए हैं तथा हरित जॉब कौशल प्रमाण पत्र परिषद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करते हुए उत्कृष्टता संस्थान की मानक प्रक्रिया के अनुरूप संरक्षित हो कर कार्य करेगा।

(iii) **प्रशिक्षण अवधि:** प्रशिक्षुओं के रोजगार घंटो को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि **35 से 60 घंटे/5 से 35 दिन** होगी।

(iv) **प्रशिक्षण लागत:** प्रशिक्षण लागत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा, समय-समय पर लागू, कॉमन लागत (सीसीएन) तक सीमित होगी। प्रति व्यक्ति औसत प्रशिक्षण लागत जिसमें अन्य खर्चे भी शामिल हैं निम्नवत है:-

(क) एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी : 8,000/- रुपए (2021-22 और
2022-23 के लिए)
: 8,500/- रुपए (2023-24 और

स्कीम दिशा-निर्देश

2025-26 के लिए)

(ख) एनएसकेएफडीसी : 3000/- रुपए

(v) **अन्य व्यय:** चूंकि प्रशिक्षु पहले से ही रोजगार प्राप्त हैं अत: प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनकी कमाई में हानि की राहत के तौर पर कौशल में वृद्धि/आरपीएल की प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफे के रूप में एससी/ओबीसी/डीएनटी उम्मीदवारों को प्रति कार्यक्रम प्रति व्यक्ति 2500/- रुपए और कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति 500/- रुपए दिए जाएंगे।

2. अल्पावधिक पाठ्यक्रम (दिहाड़ी/स्वरोजगार पर ध्यान केन्द्रित)

(क) **लक्ष्य समूह:** निरक्षर/अर्ध निरक्षर और बेरोजगार एससी/ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी और कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारी बेहद अधिकार वंचित समूह है। समाज के लाभवंचित वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान करने और स्व-रोजगार उद्यम आरंभ करने में सहायता प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य पर विशेष बल।

(ख) **पाठ्यचर्या:** स्व-नियोजित टेलर प्रशिक्षण, फर्नीचर बनाना, खाद्य प्रसंस्करण, कारपेट बुनना, ब्यूटिशियन वर्कर, चमड़े का काम, लेटेक्स हार्वेस्टिंग, टायर फिटिंग जैसे वैतनिक और स्व-रोजगार अवसरों के साथ-साथ वित्तीय और डिजीटल साक्षरता आदि पर बल देते हुए विभिन्न रोजगार भूमिकाओं में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या होगी। प्रदान किए गए प्रत्येक कौशल में उद्यमशील विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का एक घटक होगा।

(ग) **प्रशिक्षण की अवधि:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) और अर्हता पैक (क्यूपी) में विनिर्दिष्टानुसार सामान्यतया 300 घंटे और 3 माह तक होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण में स्व-रोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए सहायता हेतु बैंक के साथ लिंकेज का एक घटक होगा।

(घ) **प्रशिक्षण लागत:** प्रशिक्षण लागत अनुमत्य और समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य लागत मानकों के अनुसार होगी। प्रति व्यक्ति औसत प्रशिक्षण लागत 22,000/- रुपए है, जिसमें वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अन्य व्यय शामिल हैं। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक औसत प्रशिक्षण लागत प्रति व्यक्ति 23,500/- रुपए होगी।

(ङ) **अन्य व्यय:**

(i) गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एससी अभ्यर्थियों के लिए 1500/- रुपए प्रतिमाह, ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए 1000/- रुपए प्रतिमाह और कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों के लिए 1500/- रुपए प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षुओं को वजीफा दिया जाएगा।

स्कीम दिशा-निर्देश

(ii) आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, जहां भी आवश्यक हो, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पूरी अवधि के लिए सीसीएन के अनुसार रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी और व्यय का मुआवजा दिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों, कूड़ा बीनने वालों और उनके आश्रितों जिन्हें 500/- रुपए प्रति माह दिया जाएगा, के अलावा अलग से कोई वजीफा देय नहीं होगा।

3. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) :

(क) **लक्षित समूह:** ऐसे एससी, ईबीसी, ओबीसी और डीएनटी युवा जो विशेषत: पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हैं और जिनका उद्यमशीलता की ओर ध्यान है।

(ख) पाठ्यचर्या: प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यचर्या अनिवार्य रूप से एनएसक्यूएफ और ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 18.11.2017 के पत्र सं.आई-12011/09/2016-एनआरएलएम (आरएसईटीआई) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों पर तैयार की जाएगी। प्रशिक्षण में प्रभावी संचार कौशल, जोखिम लेने वाला व्यवहार, बिजनेस अवसर मार्ग दर्शन, मार्किट सर्वेक्षण, व्यवस्थित योजनाकरण, बैंकिंग-जमा, अग्रिम और ऋण, लागत और मूल्य निर्धारण, समय प्रबंधन, कार्यशील पूंजी और उसका प्रबंधन, बिजनेस प्लान की तैयारी आदि पर सत्र शामिल होंगे।

(ग) प्रशिक्षण की अवधि: प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतया 90 घंटे (15 दिन) अथवा एमओआरडी द्वारा निर्धारित होगी।

(घ) प्रशिक्षण लागत: प्रशिक्षण लागत को एमओआरडी के मुआवजे के मानकों के अनुसार प्रतिपूर्त किया जाएगा, जो कॉमन लागत मानकों के अनुसार बनाए गए हैं। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अन्य व्ययों सहित प्रति व्यक्ति औसत प्रशिक्षण लागत 7,000/- रुपए है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए अन्य व्ययों सहित प्रति व्यक्ति औसत प्रशिक्षण लागत 7,500/- रुपए है।

(ड.) अन्य व्यय: कॉमन लागत मानकों/एमओआरडी के दिशा-निर्देशों अथवा संगत राजकीय दस्तावेज जो भी प्रचलन में हो, के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

4. <u>दीर्घकालिक पाठ्यक्रम (वैश्विक स्तर के कौशल के लिए) :</u>

(क) लक्षित समूह: एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी युवा जो 10वीं कक्षा अथवा अधिक तक पढ़े हैं और जो उपयुक्त वेतन के साथ जॉब मार्किट में अच्छी मांग वाले सेक्टरों में नियोजन की इच्छा रखते हैं।

(ख) पाठ्यचर्या: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या एनएसक्यूएफ, एनसीवीटी, एआईसीटीई, एमएसएमई और उत्पादन प्रौद्योगिकी प्लास्टिक प्रोसेसिंग, परिधान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर, पर्यटन, विमानन, नर्सरी टीचर प्रशिक्षण आदि जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार इकाइयों द्वारा चलाए जा रहे सहित अन्य प्रख्यात प्रमाणीकरण कार्यक्रमों के अनुसार होगा।

स्कीम दिशा-निर्देश

प्रदान किए जा रहे प्रमाणीकरण को संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रक्रिया के साथ संरेखित किया जाएगा।

(ग) प्रशिक्षण की अवधि: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 650 घंटे अथवा 7 माह तक होती है, जैसाकि प्रशिक्षण केन्द्र के संबंधित बोर्ड/नियामक निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है।

(घ) प्रशिक्षण लागत: प्रशिक्षण लागत, एनएसक्यूएफ जॉब भूमिका के लिए कॉमन लागत मानकों के अनुरूप अथवा संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित, उपयुक्त और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होगी। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अन्य व्ययों सहित प्रति व्यक्ति औसत प्रशिक्षण लागत 45,000/- रुपए है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए अन्य व्ययों सहित प्रति व्यक्ति औसत प्रशिक्षण लागत 47,500/- रुपए है।

(ड.) अन्य व्यय:

(i) गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षुओं को वजीफा दिया जाएगा। (परिवहन प्रभारों का मुआवजा): एससी अभ्यर्थियों के लिए 1500/- रुपए प्रतिमाह, ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से।

(ii) आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, जहां भी आवश्यक हो, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पूरी अवधि के लिए सीसीएन के अनुसार रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी और व्यय का मुआवजा दिया जाएगा। अलग से कोई वजीफा देय नहीं होगा।

IV. पात्रता मानदंड

यह स्कीम भारतीय नागरिकता वाले उन एससी/ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी/कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों पर लागू होती है, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं :-

(i) 18-45 वर्ष के बीच आयु;
(ii) ओबीसी उम्मीदवारों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से कम होनी चाहिए;
(iii) ईबीसी उम्मीदवारों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपए से कम होनी चाहिए;
(iv) एससी/डीएनटी/कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों के उम्मीदवारों के लिए कोई आय सीमा नहीं है;
(v) उनके पास आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए, उन राज्यों के उम्मीदवारों को इससे छूट होगी, जिन राज्यों ने पूरी तरह से आधार को कार्यान्वित नहीं किया है;
(vi) एमएसडीई द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित रोजगार भूमिका के अन्य मानदंड पूरा करने वाले।

स्कीम दिशा-निर्देश

v. प्रशिक्षण संस्थान (टीआई)

(क) प्रशिक्षण संस्थानों का चयन

तीनों निगमों (कार्यान्वयन एजेंसियों) और आईएफडी सहित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों वाली समिति की बैठक की सिफारिशों के आधार पर प्रशिक्षण संस्थानों की सूची को वर्ष दर वर्ष अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थानों का चयन (अधिकतर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और कुछ निजी प्रशिक्षण संस्थान परन्तु एनजीओ नहीं) निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा :-

(i) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रधानमंत्री कुशलता विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के साथ पैनलबद्ध;
(ii) नियोजन रिकार्ड सहित पिछला प्रदर्शन;
(iii) औचक निरीक्षण के दौरान पीएमयू टीम की रिपोर्ट की सिफारिशें/टिप्पणियां।

(ख) प्रशिक्षण पार्टनर (टीपी) के माध्यम से प्रशिक्षण

प्रशिक्षण संस्थान अधिकतम अपने संस्थानों में प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे। यदि किसी स्थान पर प्रशिक्षण पार्टनर को नियुक्त करते हैं, तो वे अपनी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचित करेंगे, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को सूचित करेगी। प्रशिक्षण संस्थान केवल उन्हीं प्रशिक्षण पार्टनर का चयन करेंगे, जिनके पास निम्नलिखित सुविधाएं हैं :

(i) प्रशिक्षण पार्टनर को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जॉब विशिष्ट भूमिका के साथ स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से एसएससी/एमएसडीई के साथ पंजीकृत और फलस्वरूप प्रत्यायित होना चाहिए।
(ii) प्रशिक्षण पार्टनर के पास पर्याप्त अवसंरचना यथा प्रशिक्षण सहायक यंत्र, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, सीसीटीवी अवश्य होना चाहिए।
(iii) प्रशिक्षण पार्टनर के पास प्रैक्टिल प्रशिक्षण के लिए जॉब भूमिका के अनुसार प्रयोगशालाएं/प्रशिक्षण सहायक यंत्र और उपस्कर अवश्य होने चाहिए।
(iv) प्रख्यात प्रशिक्षुओं के उपयुक्त नियोजन के लिए प्रशिक्षण पार्टनर का उद्योगों के साथ संपर्क होना चाहिए।
(v) प्रशिक्षण पार्टनर को इस उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत एजेंसी की उपस्थिति की वयोमैट्रिक प्रणाली लगानी होगी।

vi. कार्यान्वयन की क्रियाविधि

पीएम-दक्ष को शुरू से अंत तक आईटी प्रणाली के माध्यम से चलाया जाएगा, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र को कवर करती है। यह इस प्रकार कार्य करती है :

i) टीआई, जॉब भूमिका और प्रशिक्षण प्रदान करने के स्थानों की सूची देने वाले पीएम-दक्ष पोर्टल और पीएम-दक्ष मोबाइल ऐप होंगे।

स्कीम दिशा-निर्देश

ii) उम्मीदवारों के ऑनलाइन पंजीकरण, प्रशिक्षण को आरंभ करने आदि के अतिरिक्त पीएम-दक्ष पोर्टल पीएफएमएस के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों को किए गए भुगतान, डीबीटी आदि के माध्यम से प्रशिक्षुओं को किए गए भुगतान के संबंध में भी सूचना देगी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों को सुलभ होगी।

iii) अंतिम रूप दिए गए प्रशिक्षण संस्थानों की सूची को सॉफ्टवेयर में प्री-फेड किया जाएगा।

iv) कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्र उम्मीदवार अपने आधार से पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी रुचि का क्षेत्र बता सकते हैं तथा उस संस्थान को चयन भी कर सकते हैं, जहां वे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं।

v) जैसे ही पोर्टल को आवेदन प्राप्त करने के लिए बंद कर दिया जाता है, जिन उम्मीदवारों ने एक विशेष प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिया है, वे पोर्टल का उपयोग करते हुए ऑनलाइन साइकोमीट्रिक टेस्ट देंगे।

vi) प्रशिक्षण संस्थानों को निगमों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों के दस्तावेज की सदस्य के रूप में विभिन्न अधिकारियों वाली चयन समितियों द्वारा जांच की जाएगी।

vii) अर्हताओं और साइकोमीट्रिक टेस्ट के आधार पर उपयुक्त पाए गए सभी उम्मीदवारों की सूचना पीएम-दक्ष पोर्टल द्वारा स्वत: ही प्रशिक्षण संस्थानों को दी जाएगी।

viii) प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने की तिथि निर्धारित करनी होगी और इन सूचनाओं के आधार पर, प्रशिक्षण का विकल्प देने वाले सभी उम्मीदवारों तक स्वत: ही पहुंच जाएगी।

ix) लघुकालिक प्रशिक्षण और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने की तारीख को कार्यान्वयन एजेंसी (एनएसएफडीसी/एनबीसीएफडीसी/ एनएसकेएफडीसी) द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से टीआई को प्रथम किश्त का 30% जारी किया जाएगा। इस संबंध में कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी। कार्यान्वयन एजेंसी के भीतर आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाएं इस प्रणाली में विधिवत संरेखित होंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही टीआई को तत्काल ही भुगतान पहुंच जाए।
सफल प्रमाणीकरण के पश्चात् एसटीटी और एलटीटी के लिए दूसरी किश्त का 40% जारी किया जाएगा और शेष 30% रोजगार/प्लेसमेंट जांच पर जारी किया जाएगा।

जहां तक ईडीपी और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों का प्रश्न है, चूंकि वे बहुत कम अवधि के हैं, अत: उन्हें 50% की दो बराबर किश्तों में निधियां जारी की जाएंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने पर पहली किश्त जारी की जाएगी और मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमाणीकरण सहित प्रशिक्षण के पूरा होने पर दूसरी किश्त जारी की जाएगी।

उम्मीदवारों को प्रशिक्षण उपरांत सहायता के रूप में डीबीटी के माध्यम से वजीफे का भुगतान उन उम्मीदवारों को किया जाएगा जिनकी उपस्थिति 80% है।

स्कीम दिशा-निर्देश

x) कार्यान्वयन एजेंसियों को पीएफएमएस के माध्यम से और प्रशिक्षुओं को आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) पर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

xi) जैसे ही प्रशिक्षण शुरू होता है, प्रशिक्षण केन्द्रों में फेशिअल बायोमैट्रिक की आर्टिफिशल इंटेलीजेंस का उपयोग करते हुए प्रतिदिन पोर्टल पर सभी छात्रों की उपस्थिति रिकार्ड करने के लिए उपस्थिति प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा।

xii) केवल ऐसे उम्मीदवार जो 80% से अधिक उपस्थिति के साथ नियमित पाए जाते हैं वजीफे के पात्र होंगे। पोर्टल पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रिकार्ड की गई उपस्थिति के आधार पर वजीफे का स्वत: भुगतान किया जाएगा। उम्मीदवारों के खातों में पीएफएमएस/डीबीटी के उपयोग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।

xiii) प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने पर, प्रशिक्षण एजेंसी को प्रत्येक उम्मीदवार के परिणाम सहित परीक्षा/मूल्यांकन की तारीख पीएम-दक्ष पोर्टल पर प्रविष्ट करनी चाहिए।

xiv) इससे दूसरी किश्त को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप को स्वत: जारी करने में आसानी होगी।

xv) नियोजन के बाद उम्मीदवार के नियोजन ब्यौरे तथा उनके बैंक खाते जिसमें वजीफा का भुगतान किया जाएगा, की सही-सही जानकारी की प्रशिक्षण प्रदायकों द्वारा प्रविष्टि की जाएगी। पोर्टल में छात्र के स्थान पर उसके व्यवसाय के प्रगति को प्रविष्टि की सुविधा भी होगी।

xvi) स्कीम उनके द्वारा यथानिर्दिष्ट एमएसडीई दिशा-निर्देशों और कॉमन लागत मानकों का अनुपालन करेगी।

VII. परिणाम

दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित परिणाम इस प्रकार हैं :

(i) **कौशल उन्नयन कार्यक्रम** :- लाभार्थियों द्वारा स्व-प्रमाणित जीविका अर्जन का संवर्धन।

(ii) **लघुकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** :- प्रशिक्षित व्यक्तियों का समग्र प्लेसमेंट, वैतनिक/स्व-रोजगार का 70% होना चाहिए।

(iii) **उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम** :- ईडीपी प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात्, कम से कम 70% उम्मीदवारों को स्व-नियोजित और/अथवा वैतनिक होना चाहिए।

(iv) **दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** :- प्रशिक्षित व्यक्तियों का कुल प्लेसमेंट, वैतनिक/स्वरोजगार का 70% होना चाहिए, जिसमें कम से कम 70% वैतनिक रोजगार में नियोजित होने चाहिए।

स्कीम दिशा-निर्देश

VIII. स्थायी वित्त समिति द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए मंजूर वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	निगम का भाग	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26			कुल			
		एनएसएफडीसी	एनबीसीएफडीसी	एनएसकेएफडीसी	एनएसएफडीसी	एनबीसीएफडीसी	एनएसकेएफडीसी	एनएसएफडीसी	एनबीसीएफडीसी	एनएसकेएफडीसी	एनएसएफडीसी	एनबीसीएफडीसी	एनएसकेएफडीसी	एनएसएफडीसी	एनबीसीएफडीसी	एनएसकेएफडीसी	एनएसएफडीसी	एनबीसीएफडीसी	एनएसकेएफडीसी	**कुल**
(i)	कौशल उन्नयन																			
	प्रशिक्षुओं की संख्या	4000	5500	6000	4200	5600	6500	4300	5700	7000	4500	5800	8000	4700	6000	8500	21700	28600	36000	**86300**
	प्रशिक्षण की लागत	320	440	180	336	448	195	366	485	210	383	493	240	400	510	255	1804	2376	1080	**5259**
(ii)	लघुकालिक प्रशिक्षण																			
	प्रशिक्षुओं की संख्या	8500	7000	3000	8700	7200	3500	8900	7400	4000	9000	7500	4500	9200	7800	5000	44300	36900	20000	**101200**
	प्रशिक्षण की लागत	1870	1540	660	1914	1584	770	2092	1739	940	2115	1763	1058	2162	1833	1175	10153	8459	4603	**23214**
(iii)	ईडीपी																			
	प्रशिक्षुओं की संख्या	4500	6500		4600	6600	0	4700	6700	0	4900	7100	0	5100	7300	0	23800	34200	0	**58000**
	प्रशिक्षण की लागत	315	455		322	462		353	503		368	533		383	548		1740	2500	0	**4239**
(iv)	दीर्घकालिक प्रशिक्षण																			
	प्रशिक्षुओं की संख्या	3000	1800		3100	1900	0	3200	2000	0	3200	1950	0	3300	2050	0	15800	9700	0	**25500**
	प्रशिक्षण की लागत	1350	810	0	1395	855	0	1520	950	0	1520	926	0	1568	974	0	7353	4515	0	**11868**
	निगमों के माध्यम से प्रशिक्षण	**20000**	**20800**	**9000**	**20600**	**21300**	**10000**	**21100**	**21800**	**11000**	**21600**	**22350**	**12500**	**22300**	**23150**	**13500**	**105600**	**109400**	**56000**	**271000**
	कुल (टी1)			**49800**			**51900**			**53900**			**56450**			**58950**			**271000**	
	कुल प्रशिक्षण लागत (सी1)	**3855**	**3245**	**840**	**3967**	**3349**	**965**	**4330**	**3676**	**1150**	**4385**	**3714**	**1298**	**4512**	**3864**	**1430**	**21048**	**17849**	**5683**	**44579**
	प्रशिक्षण लागत के 1% की दर से निगरानी व्यय जोड़े (सी2)	**39**	**32**	**8**	**40**	**33**	**10**	**43**	**37**	**12**	**44**	**37**	**13**	**45**	**39**	**14**	**210**	**178**	**57**	**446**
	कुल (सी1 + सी2)	**3894**	**3277**	**848**	**4007**	**3382**	**975**	**4373**	**3713**	**1162**	**4429**	**3751**	**1310**	**4557**	**3903**	**1444**	**21258**	**18027**	**5739**	**45025**
	कुल (सी3)			**8019**			**8364**			**9247**			**9491**			**9904**			**45025**	
	अनुमान/गणना का आधार																			
	* कौशल उन्नयन के लिए प्रति प्रशिक्षु लागत (60 घंटे/1 माह) - वर्ष 2021-22 के लिए 8000/- रुपए, वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 8500/- रुपए। एनएसकेएफडीसी के मामले में, सभी 5 वर्षों के लिए लागत 3000/- रुपए (35 घंटे/5 दिनों की संभावित प्रशिक्षण अवधि) है।																			
	* लघुकालिक पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षु लागत - वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 22000/- रुपए, वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 23500/- रुपए (300 घंटे/3 माह की संभावित प्रशिक्षण अवधि और इसमें वजीफा तथा आकलन लागत शामिल है, 25% कार्यक्रमों के आवासीय होने की संभावना है)।																			
	* दीर्घकालिक पाठ्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षु लागत वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 45000/- रुपए, वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 47500/- रुपए (650 घंटे/7 माह की संभावित प्रशिक्षण अवधि और इसमें वजीफा तथा आकलन लागत शामिल है, 25% कार्यक्रमों के आवासीय होने की संभावना है)।																			
	* इडीपी पाठ्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षु लागत - वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 7000/- रुपए, वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 7500/- रुपए (90 घंटे/15 दिन और इसमें मूल्यांकन लागत, खाने और उम्मीदवारों के आने-जाने के लिए सहायता शामिल																			

स्कीम दिशा-निर्देश

	है)।
	नोट:(i) प्रति घंटा प्रशिक्षण लागत को प्रचलित प्रवृत्ति अर्थात् वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रति घंटा 51.40 रुपए, वर्ष 2023-24, **2024-25** और 2025-26 के लिए 56.50 रुपए के अनुसार दो वर्षों के पश्चात् कॉमन लागत मानकों के अंतर्गत प्रति घंटा लागत सीमा (वर्ष 2020-21 के लिए बेस रेट 46.70 रुपए है) के संबंध में प्रति घंटा प्रशिक्षण लागत को 10% तक बढ़ा दिया गया है।
	(ii) प्रति घंटा प्रशिक्षण लागत को प्रचलित प्रवृत्ति अर्थात् वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रति घंटा 48.40 रुपए, वर्ष 2023-24, **2024-25** और 2025-26 के लिए 56.50 रुपए के अनुसार दो वर्षों के पश्चात् कॉमन लागत मानकों के अंतर्गत प्रति घंटा लागत सीमा (वर्ष 2020-21 के लिए बेस रेट 44 रुपए है) के संबंध में प्रति घंटा प्रशिक्षण लागत को 10% तक बढ़ा दिया गया है।
	(iii) मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वजीफा के अलावा अन्य लागत को प्रति वर्ष दो में बढ़ाया गया है।

नोट: उपर्युक्त प्रति उम्मीदवार लागत, अनुमानित औसत लागत है। यह विभिन्नता एमएसडीई के कॉमन लागत मानको द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि पर निर्भर है।

स्कीम दिशा-निर्देश

XI. समय-सीमा

पीएम-दक्ष के अंतर्गत कार्यान्वयन की समय-सीमा

क्रम सं.	उद्देश्य	तारीख
मोड्यूल-I	**पहले चरण के प्रशिक्षण**	
1.	पोर्टल पर प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए मंजूर प्रशिक्षण पार्टनर को अपलोड करना।	28 फरवरी से पहले
2.	पंजीकरण के लिए पोर्टल खुलना	1 मार्च से 30 अप्रैल
3.	जिन केन्द्रों में पंजीकरण, बैच के आकार का 1.25 गुणा है, वहां पंजीकरण अवधि के लिए दस्तावेज की जांच, साइकोमीट्रिक टेस्ट और पाठ्यक्रमों का आरंभ।	1 अप्रैल से 30 अप्रैल
4.	शेष केन्द्रों के लिए दस्तावेज की जांच, साइकोमीट्रिक टेस्ट और पाठ्यक्रमों का प्रारंभ।	1 मई से 31 मई
मोड्यूल-II	**पहले चरण के प्रशिक्षण**	
5.	प्रशिक्षण का दूसरा चरण (यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है)	
6.	पीएम-दक्ष पोर्टल में उम्मीदवारों का पंजीकरण	1 जुलाई से 31 जुलाई
7.	दस्तावेज की जांच, साइकोमीट्रिक टेस्ट और पाठ्यक्रमों का आरंभ।	31 अगस्त तक

टीआई को निधियां जारी करना (पहले चरण में आरंभ पाठ्यक्रमों के लिए)

क्रम सं.	पहले चरण लिए टीआई को निधियां जारी करना	तारीख
1.	पहली किश्त जारी करना, 30% (एसटीटी/एलटीटी) और 50 (कौशल उन्नयन और ईडीपी)	30 जून तक
2.	आरपीएल/ईडीपी कार्यक्रमों के लिए दूसरी किश्त जारी	30 अगस्त तक
3.	लघुकालिक पाठ्यक्रमों के लिए दूसरी किश्त	30 अक्तूबर तक
4.	लघुकालिक पाठ्यक्रमों के लिए तीसरी किश्त	31 दिसम्बर तक
5.	दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के लिए दूसरी किश्त	28 जनवरी तक
6.	लघुकालिक पाठ्यक्रमों के लिए तीसरी किश्त	15 मार्च तक

X. स्कीम की निगरानी

पीएम-दक्ष के दिशा-निर्देश निम्नलिखित निगरानी तंत्र विनिर्दिष्ट करते हैं :

i. निगम सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सीधे निगरानी करेंगे। इसमें प्रत्यक्ष अथवा चयन समिति बैठकों में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी, प्रशिक्षुओं के विवरण वाले चयन समिति बैठकों के कार्यवृत्तों की समीक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ई-आधारित और प्रत्यक्ष निगरानी, नामित पोर्टल में प्रशिक्षित लाभार्थियों का समेकित विवरण आदि शामिल हैं।

ii. इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन निगमों और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए तीसरी पार्टी मूल्यांकन के अधीन होगा।

iii. इसके अलावा, निरीक्षण के लिए चल रहे प्रशिक्षण स्थलों के दौरे के लिए पीएमयू टीम/सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित करना, विभिन्न कार्यकलापों के लिए ह्वाट्स ऐप ग्रुप पर त्वरित सूचना, सीसीटीवी की स्थापना और सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी और वास्तविक समय आधार पर कौशल प्रशिक्षण की निगरानी के लिए पीएम-दक्ष पोर्टल का आरंभ, का समय-समय पर प्रावधान करना। यदि प्रशिक्षण संस्थान का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/पीएमयू के अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षणों के आधार पर टीआई को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। यदि उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया जाएगा।

निम्नलिखित अंत:क्षेपों के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी :

क. आर्टिफिशल इंटेलीजेन्स (एआई) का उपयोग करते हुए उम्मीदवारों की बायोमैट्रिक उपस्थिति।
ख. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पीएमयू इकाइयों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचक स्थल निरीक्षण।
ग. टीआई से प्राप्त जियो-टैग चित्रों द्वारा चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी।

iv. जहां भी संभव हो, सीसीटीवी के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।

v. जब आवश्यक हो, स्कीम की निगमों/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा की जाएगी।

vi. स्व-नियोजित लोगों के कौशल उन्नयन के मामले में, जहां तक संभव हो, उनकी प्रशिक्षण उपरांत की आय में वृद्धि को फीडबैक के लिए रिकार्ड किया जाएगा।

vii. टीआई के चयन के लिए समिति के गठन के समय, प्रशिक्षण पार्टनरों के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

viii. शुरू से अंत तक आईटी प्रणाली होनी चाहिए, जो प्रशिक्षुओं पर फोकस करे और निगम के स्तर पर कागजी कार्य को कम करे।

xi. विविध

(i) यूसी को जीएफआर, 2017 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के उपबंधों के अनुसार, अव्ययित राशि की तुलना में सभी ब्याज अथवा अन्य अर्जन (कौशल हेतु निगमों को बजटीय सहायता) को लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के तुरन्त बाद भारत की संचित निधि में अनिवार्य रूप में जमा करवाया जाना चाहिए।

(ii) पीएम-दक्ष योजना का कार्यान्वयन जीएफआर, 2017 के अनुसार होगा।